कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक–03, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
e-mail:highereducation.cg.gmail.com, website:highereducation.cg.gov.in

कमांक 59/नि.स./आउशि/2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24.07.2024

प्रति,

01. कुलसचिव,
समस्त राजकीय विश्विद्यालय
छत्तीसगढ़

02. प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषयः– सत्र 2024–25 हेतु अतिथि व्याख्याता व्यवस्था संबंधी।
संदर्भ :– ऑनलाईन विभागीय बैठक दिनांक 12.07.2024।

–00–

संदर्भित विभागीय बैठक में महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा **अतिथि व्याख्याता नीति 2024** के कुछ बिन्दुओं पर की गई पृच्छा के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

1. कालखण्ड संबंधी– राज्य में एनईपी 2020 लागू होने के उपरांत महाविद्यालयों में एनईपी 2020 पाठ्यक्रम हेतु 60 मिनट का एक कालखण्ड निर्धारित है। पुराने पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालयों में 40 अथवा 45 मिनट का एक कालखण्ड निर्धारित होने से संयुक्त भवन वाले महाविद्यालयों में कक्षाओं के संचालन में असुविधा हो सकती है। किन्तु कुछ महाविद्यालयों में पृथक–पृथक भवन प्रकोष्ठ होने की स्थिति में पृथक–पृथक अवधि के कालखण्ड को लागू भी किया जा सकता है। **अतएव महाविद्यालयों में उपलब्ध स्थानीय अधोसंरचना को ध्यान में रखते हुए कालखण्ड समान/पृथक–पृथक करने पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर निर्णय लिया जाये।**

2. शोध–पत्रों पर अंक संबंधी– पीएचडी/एम.फिल की उपाधि प्राप्त किये जाने तक प्रकाशित शोध–पत्रों पर कोई अंक नहीं दिये जायेंगे। **उपाधि प्राप्ति तिथि उपरांत यू.जी.सी. केयर जर्नल्स में प्रकाशित किये शोध पत्रों पर ही अंक दिये जायेंगे।**

3. अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में अंकित शैक्षणिक योग्यता संबंधी– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2018 की मार्गदर्शिका अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की व्यवस्था/नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता स्नातकोत्तर स्तर पर 55% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव (असंपन्न वर्ग)/दिव्यांगजन हेतु 50%)) निर्धारित है। **अतएव अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु स्नातक के अंक देखने की आवश्यकता नहीं है।**

4. 07 घण्टे उपस्थिति संबंधी – अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अध्ययनशाला अध्यक्ष/प्राचार्य व्दारा सौंपे गए **शैक्षणेत्तर कार्यों को संपादित करने के दिनों में महाविद्यालयों में 07 घण्टे कार्य करने पर अतिरिक्त मानदेय की पात्रता होगी।**

24/7

(शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर